कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना–7

वाह्य स्त्रोत के आधार पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु

निविदा आमंत्रण सूचना

पूर्व में प्रकाशित निविदा सूचना अपरिहार्य कारणवश रद्द किये जाने के उपरान्त राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना–7 में भारतीय भैषज्य परिषद, नई दिल्ली द्वारा दर्ज आपत्ति के निराकरण के कम में सरकार के उप सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 340 (1) दिनांक 10/03/2016 एवम् पत्रांक 29 (1) दिनांक 16/01/2017 के द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में प्रयोगशाला परिचर, पुस्तकालय परिचर, आदेशपाल, माली, सिक्यूरिटी गार्ड (जो पसारा सिक्यूरिटी एक्ट से निबंधित हो) एवं जिसकी अर्हता मैट्रीक उत्तीर्ण (अर्धकुशल) तथा सफाई कर्मी के लिए साक्षर (अर्धकुशल) है, की आवश्यकता है। सिक्यूरिटी गार्ड एवं सफाई कर्मी, को राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना–7 के परिसर में अवस्थित पुराना भवन, नया भवन एवं छात्रावास की आंतरिक सुरक्षा एवं सफाई कार्य करना होगा। वाह्य स्त्रोत के आधार पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुभवी एजेन्सी, जो श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना से निबंधित हो, जिनके द्वारा कम से कम तीन सरकारी संस्थानों में सेवा दी गई हो, से मुहरबंद निविदा सूचना आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के अन्दर केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से अपराह्न 05 पाँच बजे तक निविदा प्राप्त किये जायेंगे। निविदा प्राप्ति के अंतिम दिन अवकाश रहने की स्थिति में अगला कार्य दिवस अंतिम दिन होगा।

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार होंगी

1 **निविदा के प्रकार**

(क) **तकनीकी निविदा** जिसमें अभिलेखों की छाया प्रति एवं अग्रधन की राशि संलग्न होगी।

(ख) **वित्तीय निविदा** जिसमें दर अंकित किया जायेगा।

2 **तकनीकी एवं वित्तीय** निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है तथा दोनों लिफाफे को अलग से एक तीसरे बड़ा लिफाफा में रखकर मुहरबंद कर पोस्ट करना होगा। उस मुहरबंद लिफाफा के उपर निविदा संख्या एवं बाँयी ओर निविदादाता फर्म का नाम/पता एवं मोबाईल न0 अंकित करना होगा।

3 निविदा में किसी प्रकार का कटींग या ओभर राईटींग स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्राप्त निविदाएँ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में कय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में खोली जायेगी। तकनीकी निविदा अस्वीकृत होने पर संबंधित एजेन्सी का वित्तीय निविदा नहीं खोला जायेगा। कय समिति द्वारा चयनित एजेन्सी को अर्धकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा, जिसका भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय आवंटित कार्य से मुक्त करने का अधिकार प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना–7 को होगा।

किसी भी या सभी निविदाओं को रदद् करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है, जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। अर्धकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का आदेश के पश्चात यदि एजेन्सी द्वारा समय सीमा के अंदर कर्मी उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, या उनका कार्य संतोषप्रद नहीं होता है, तो उन्हें दिया गया कार्यादेश समाप्त/रदद कर दिया जायेगा।

4 समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत नियमावली का अनुपालन करना होगा।

5 तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा (लिफाफा–ए) के साथ निम्नांकित कागजातों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6 Earnest money के रूप में मो0 1,00,000.00 (एक लाख रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना–7 के पदनाम से संलग्न करना होगा।

7 जी0 एस0 टी0 निबंधन प्रमाण पत्र, एवं अद्यतन जी0 एस0 टी0 रिटर्न–3 बी0 की प्रति संलग्न करना होगा।

8 निविदादाता को समान प्रकृति के व्यवसाय में वार्षिक टर्न ओवर एक करोड़ पचास लाख रूपया होना चाहिए।

9 निविदादाता को विगत तीन वर्षो का अद्यतन आयकर रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

10 I.S.O. Certified संस्था होना चाहिए।

11 पैन कार्ड की छायाप्रति एवं आवासीय प्रमाण पत्र ।

12 निविदादाता द्वारा कार्यरत पचास व्यक्तियों का ई0 पी0 एफ0 कटौती प्रमाण पत्र।

13 निविदादाता द्वारा कार्यरत पचास व्यक्तियों का ई0 एस0 आई0 कटौती प्रमाण पत्र।

14 बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के अधीन कम से कम 100 एक सौ व्यक्तियों का निबंधन प्रमाण पत्र।

15 श्रम विभाग द्वारा निबंधन प्रमाण पत्र।

16 पसारा सिक्यूरिटी एक्ट से निबंधित होना चाहिए।

17 निविदादाता को किसी एक सरकारी कार्यालय में पचास व्यक्तियों से कार्य कराने का अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा शिक्षण संस्थान में कार्य कराने वाले को प्राथमिकता दी जायगी।

18 निविदादाता संबंधित जिले के आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

19 निविदादाता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि न तो उन्हें कानून के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, न ही काली सूची में नाम दर्ज है।

20 श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर सभी कर्मियों को न्युनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा तथा समय–समय पर श्रम विभाग द्वारा संशोधित दर के आधार पर भुगतान किया जायगा।

21 श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय–समय पर संशोधित दर के आधार पर सभी कर्मियों को न्युनतम मजदूरी का भुगतान करने से संबंधित शपथ पत्र निविदादाता को देना होगा।

22 कर्मियों की न्युनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए तथा मानसिक एवं शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।

23 बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान का अनुपालन करते हुए अर्धकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध कराना होगा।

24 कार्य संबंधित विपत्रों का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने पर किया जायेगा, आवंटन उपलब्ध न होने या विभाग से आवंटन देर से प्राप्त होने की स्थिति में अपने कर्मियों का भुगतान एजेंसी द्वारा किया जायेगा, भुगतान की प्रकिया में किसी प्रकार का विलंब होने पर ब्याज देय नहीं होगा, कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान किया जायेगा तथा एजेंसी द्वारा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायगी।

25 निविदादाता को अपने कर्मियों को वर्दी, परिचय पत्र कमांक के साथ उपलब्ध कराना होगा एवं इसके लिए अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

26 चयनित निविदादाता को प्रत्येक कर्मी का वायोडाटा फोटोसहित ई0 पी0 एफ0 एवं ई0 एस0 आई0 नम्बर के साथ कार्यालय में जमा करना होगा।

27 निविदा के अंतिम निष्पादन के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से कार्यादेश तीन वर्ष तक मान्य होगा तथा 1000/–एक हजार रूपये के ननजुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा कि कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर एक माह पूर्व सूचना देकर हटाया जा सकता है या कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अवधि विस्तार किया जा सकता है।

28 निविदा को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना को होगा।

29 कर्मियों से आवश्यकता पड़ने पर अन्य कार्य भी लिया जा सकता है। प्रत्येक कर्मी को परिसर में आठ घंटे उपस्थित रहना होगा।

30 सर्विस चार्ज का दर अंकित करना अनिवार्य है

31 तकनीकी निविदा की तुलनात्मक विवरणी के अध्ययन के उपरान्त तकनीकी निविदा की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।

32 निविदादाता को कार्य शुरू करने से पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार पटना के संकल्प संख्या–13876 दिनांक 03.11.2017 के अलोक में आउटसोर्सिंग के तहत सेवाओं में आरक्षण रोस्टर का पालन संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

33 तकनीकी निविदा की अर्हता पूर्ण करने वाले निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायगा।

1 **वित्तीय निविदा (लिफाफा–बी)** में अर्धकुशल श्रेणी के कर्मियों का भुगतान दर श्रम संसाधन, विभाग, बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित दर प्रति कर्मी, प्रतिदिन का देना होगा। ।

2 ई0 पी0 एफ0 एवं ई0 एस0 आई0 कटौती दर प्रति कर्मी, प्रतिदिन का देना होगा।

3 कर्मियों के भुगतान की सारी जवाबदेही निविदादाता की होगी।

कम संख्या	पद नाम	योग्यता	अर्धकुशल	श्रेणी	आवश्यकता
1.	प्रयोगशाला परिचारक	मैट्रीक उत्तीर्ण	अर्धकुशल	चतुर्थ वर्गीय	12
2.	पुस्तकालय परिचारक	मैट्रीक उत्तीर्ण	अर्धकुशल	चतुर्थ वर्गीय	01
3.	आदेशपाल (चपरासी)	मैट्रीक उत्तीर्ण	अर्धकुशल	चतुर्थ वर्गीय	07
4.	माली (चतुर्थ वर्गीय)	मैट्रीक उत्तीर्ण	अर्धकुशल	चतुर्थ वर्गीय	01
5.	सिक्यूरिटी गार्ड	मैट्रीक उत्तीर्ण	अर्धकुशल	चतुर्थ वर्गीय	(पसारा एक्ट से निबंधित होना चाहिए) 06
6.	सफाई कर्मी	साक्षर	अर्धकुशल	चतुर्थ वर्गीय	06

नोट– चतुर्थ श्रेणी के कुल रिक्त पदों की संख्या :–21, सिक्यूरिटी गार्ड पदों की संख्या 06 तथा सफाई कर्मी पदों की संख्या 06

सभी निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि प्रकाशित निविदा के कमांक सूची के अनुसार कमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके सभी कागजात देना अनिवार्य है अन्यथा उस निविदा पर कोइ विचार नहीं किया जायगा।

निविदा संबंधित जानकारी संस्थान के वेवसाईट:–**www.gpi.ac.in** के **tender Section** पर भी देखा जा सकता है या कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

Shailendra Kumar
27/01/2019

प्राचार्य
राजकीय फार्मेसी संस्थान,
अगमकुआँ, पटना
27.1.19